न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 96/2019/अपील/एजआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 26.11.2019
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. हरिबल्लभ पुत्र बद्रीदास जाति बैरागी निवासी छीपाबडौद जिला बांरा

...अपीलार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडौद
2. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर बांरा जिला बांरा ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 27.10.2021

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण 92/2015 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान हरिबल्लभ बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद वगेरा मे पा।रत निर्णय दिनांक 19.8.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन ।निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 689 दिनांक 26.7.1982 कस्बा छीपाबडौद के विरूद्ध अपील अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा के यहां इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.7.1982 कस्बा छीपाबडौद निरस्त करने हेतु पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बांरा द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 19.8.2019 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के जेरअपील निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अतंर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि कस्बा छीपाबडौद स्थित विवादित आराजी ख0 नं0 603 रकआ 6 बिस्वा, ख0 नं0 606 रकबा 11 बिस्वा, ख0 नं0 604/1288 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 608/1289 रकबा 5 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि गलत रूप से मूर्ति श्री रामचन्द्र जी के खाते दर्ज कर दिये जाने पर अपीलांट के पिता बद्रीदास ने न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा के यहां धारा 88, 89 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत वाद पेश किया था जिसे न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया तथा भूमि अपीलांट के पिता के खाते मे दर्ज करने का निर्णय/डिक्री पारित की गई जिसकी पालना मे इंतकाल नम्ब 147 दिनांक 31.3.66 तस्दीक किया गया तब से ही अपीलांट के पिता बद्रीदास बहैसियम खातेदार व काबिज चले आ रहे थे, परन्तु बिना किसी आधार के नामा0 सं0 689 दिनांक 26.7.1982 के जरिये विवादित उक्त भूमि मूर्ति श्री रामचन्द्र जी के खाते मे दर्ज करदी गयी, अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर नही दिया गया

जानकारी की दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय मे नामा0 सं0 689 दिनांक 26.7.82 के विरूद्ध अपील पेश की गई जिसे कानूनी प्रावधानों के विपरीत एंव प्रस्तुत दस्तावेजात पर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित गौर नही कर अपील दिनांक 19.8.2019 को खारिज करदी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय विधि के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण सं0 689 दिनांक 26.7.82 से पूर्णतया साबित था कि उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त अपीलांट के पिता बद्रीदास को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया जबकि नामान्तरकरण की तस्दीक की दिनांक को अपीलांट के पिता बद्रीदास विवादित आराजी के खातेदार थे ऐसी स्थिति मे किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार, सुनवायी का अवसर दिये बिना एक तरफा रूप से समाप्त नही किये जा सकते। सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत है। इस कानूनी बिन्दू पर अधीनसथ न्यायालय ने कोई गोर नही किया। विवादित 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता के खाते मे आदेश दिनांक 23.12.1965 सहायक समाहर्ता (एसीएम छबडा) वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 राज0 टीनेन्सी एक्ट के अनुसार खाते दर्ज करने का आदेश दिया गया था उक्त आदेश की पालना मे नामान्तरकरण नम्बर 147 दिनांक 31.3.1966 तस्दीक किया गया था तब से अपीलांट के पिता खातेदार एंव काबिज चले आ रहे थे पिता बद्रीदास की मृत्यु के पश्चात अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है इस आदेश दिनांक 23.12.65 की प्रतिपक्षी द्वारा कोई अपील नही की गई एंव नामा0 सं0 147 के विरूद्ध भी कोई अपील प्रस्तुत नही हुई ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण नम्बर 689 के आधार पर अवैधानिक रूप से अपीलांट की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती, परन्तु इस कानूनी बिन्दू की भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी कर जेरअपील निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। नामा0 सं0 689 अवैधानिक है तथा अवैधानिक आदेश को चैलेन्ज करने की कोई मियाद निर्धारित नही है। यह इंतकाल अवैध व तहसीलदार के क्षेत्राधिकार से परे है। नामा0 सं0 689 तस्दीक करने से पूर्व एंव अपीलांट के पिता के अधिकार खातेदारी से समाप्त करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। अवैधानिक रूप से खातेदारी समाप्त नही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय मे अंतिम पेज पर यह माना है कि अपीलांट हरिबल्लभ विवादित आराजी मे अपना कोई हक व अधिकार चाहता है तो उसको नियमित वाद प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करना चाहिये, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नही दिया कि विवादित आराजी के मामले मे हक व अधिकार बावत अपीलांट के पिता बद्रीदास ने न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा के यहां नियमित वाद बावत धोषणा पेश किया था जो दिनांक 14.12.1965 को डिक्री किया गया एंव इस निर्णय/डिक्री की पालना मे अपीलांट के पिता बद्रीदास के नाम नामा0 सं0 147 दिनांक 31.3.66 के जरिये खातेदारी दर्ज की गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर ध्यान नही दिया कि बार बार नियमित वाद पेश करने की कोई आवश्यकता नही है। नियमित वाद के निर्णय के अनुसार नामान्तरकरण 689 दिनांक 26.7.82 अवैधानिक है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अति0 जिला कलक्टर बांरा का जेरअपील निर्णय दिनांक 19.8.2019 एंव इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.7.82 कस्बा छीपाबउौद जिला बांरा निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि गलत रूप से मूर्ति श्री रामचन्द्र जी के खाते दर्ज कर दिये जाने पर अपीलांट के पिता बद्रीदास ने न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा के यहां धारा 88, 89 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत वाद पेश किया था जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.12.1965 से वाद डिक्री किया जाकर भूमि अपीलांट के पिता के खाते मे दर्ज करने का निर्णय/डिक्री पारित की गई जिसकी पालना मे इंतकाल नम्ब 147 दिनांक 31.3.66 तस्दीक किया गया तब से ही अपीलांट के पिता बद्रीदास बहैसियम खातेदार व उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट काबिज चले आ रहे थे किन्तु तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा बिना किसी आधार के तथा अपीलांट के पिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामा0 सं0 689 दिनांक 26.7.1982 के जरिये उक्त भूमि भूर्ति श्री रामचन्द्र जी के खाते दर्ज करदी गयी, जिसकी जानकारी होने पर नामा0 सं0 689 दि0 26.7.82 के विरूद्ध अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत

एंव प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर किये बिना ही दिनांक 19.8.2019 को अपील खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय विधि के सर्वथा विपरीत है। नामान्तरकरण सं0 689 दिनांक 26.7.82 से यह पूर्णतया साबित था कि नामान्तरकरण सं0 689 तस्दीक करते वक्त अपीलांट के पिता बद्रीदास उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार थे तथा उनको सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया ऐसी स्थिति मे किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार सुनवायी का अवसर दिये बिना ही एक तरफा रूप से समाप्त नही किये जा सकते। नामा0 सं0 147 दिनांक 31.3.66 निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत है। अतः वदग्रस्त आराजी का तहसीलदार छीपाबउौद द्वारा तस्दीक किया गया नामा0 सं0 689 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस कानूनी बिन्दू पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई गोर नही किया। बहस मे आगे यह भी प्रकट किया कि सहायक समाहर्ता (एसीएम छबडा) द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 राज0 टीनेन्सी एक्ट के अनुसार खाते दर्ज करने का आदेश की पालना मे नामान्तरकरण नम्बर 147 दिनांक 31.3.1966 तस्दीक किया गया था। इस आदेश की तथा आदेश की पालना मे तस्दीकी नामा0 सं0 147 की प्रतिपक्षी द्वारा आज तक कोई अपील नही की गई ऐसी स्थिति मे न्यायालय के निर्णय/डिक्री की पालना मे तस्दीक किये गये नामा0 सं0 147 दिनांक 31.3.66 को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नही है।, ऐसी स्थिति मे नामा0 सं0 147 निरस्त कर वादग्रस्त भूमि का तस्दीकी नामा0 689 एंव प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि नामा0 सं0 689 के आधार पर अवैधानिक रूप से अपीलांट की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती। इस कानूनी बिन्दू की भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी कर जेरअपील निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। नामा0 सं0 689 अवैधानिक है तथा अवैधानिक आदेश को चैलेन्ज करने की कोई मियाद निर्धारित नही है। यह इंतकाल अवैध व तहसीलदार के क्षेत्राधिकार से परे है। तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण के माध्यम से अपीलांट की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय मे अंतिम पेज पर यह माना है कि अपीलांट हरिबल्लभ विवादित आराजी मे अपना कोई हक व अधिकार चाहता है तो उसके नियमित वाद प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करना चाहिये, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नही दिया कि विवादित आराजी के मामलें मे हक व अधिकार बावत अपीलांट के पिता बद्रीदास ने न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा के यहां नियमित वाद बावत धोषणा पेश किया था जो दिनांक 14.12.1965 को डिक्री किया गया एंव इस निर्णय/डिक्री की पाजना मे अपीलांट के पिता बद्रीदास के नाम नामा0 सं0 147 दिनाांक 31.3.66 के जरिये खातेदारी दर्ज की गयी। बार बार नियमित वाद पेश करने की कोई आवश्यकता नही है अधीनसथ न्यायालय का उक्त अभिमत विधि विरूद्ध है। नियमित वाद के निर्णय के अनुसार नामान्तरकरण 689 अवैधानिक है। अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे (23) 2016 पेज 712 आरआरटी 2011–12 (सुप्रीम) पेज 673 पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय एंव तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी नामा0 सं0 689 अवैधानिक होने से निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि ग्राम छीपाबडौद की वादग्रस्त भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2013–2032 तक मे श्री रामचन्द्र जी बिराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के ख0 नं0 604 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि श्री रामचन्द्र जी बिराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास के नाम दर्ज खाता सं0 283 है पुजारी का देहान्त हो चुका है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर नही लिये गये है। वादग्रस्त भूमि को नामा0 सं0 147 के अपीलांट के पिता बद्रीदास के नाम विधि विरूद्ध दर्ज किया गया क्योंकि भूमि माफी मंदिर की थी ऐसी स्थिति मे पुजारी का नाम हटाने बावत जो नामा0 सं0 689 तस्दीक किया गया वह सही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/दस्तावेजो का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 31.3.66 के कालम नं0 16 पर अंकन से यह स्पष्ट है कि

विवादित आराजी सहायक समाहर्ता छबडा के आदेश क्रमांक 4816 दिनांक 14.12.65 मिसल 22 दावा 65 बद्रीदास बनाम तह0 छीपाबडौद अन्तर्गत धारा 91 आर0टी0ए0 आराजी 2 बीघा 1 बिस्वा अदालत आदेश से अपीलांट के पिता बद्रीदास के खाते दर्ज की गई। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय/डिक्री की पालना मे तस्दीक नामान्तरकरण के इन्द्राज को जिलाधीश को प्रशासनिक शक्तियों के तहत निरस्त करने का अधिकार प्रदत्त नही है बल्कि आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे जब अनुकल्पित उपचार उपलब्ध हो तो सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय निरस्त कर दिये जाने पर ही राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज बदले जा सकते है। विवादित मामले मे न्यायालय सहायक समाहर्ता छबडा का निर्णय निरस्त होना पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रेकार्ड से जाहिर नही होता है। ऐसी स्थिति मे नामा0 सं0 147 दिनांक 31.3.66 अपीलांट को सूचना दिये बिना एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज किया जाकर विवादित आराजी का तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा नामा0 सं0 689 तस्दीक किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से नामा0 सं0 689 दिनांक 26.7.82 निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी का नामा0 सं0 147 दिनांक 31.3.66 सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना मे तस्दीक किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय/डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय मे कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है अतः निर्णय/डिक्री की पालना मे तस्दीक किये गये नामा0 को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नही है। उक्त नामा0 सं0 689 दिनांक 26.7.82 एंव प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.8.2019 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष की गई प्रथम अपील मे उक्त विवेचित कानूनी बिन्दू विद्यमान होना प्रकट था। अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अति0 जिला कलक्टर बांरा ने अपने जेरअपील निर्णय मे इन तथ्यो पर कोई गोर नही किया ना ही इस संदर्भ मे आलौच्य निर्णय मे अपना कोई स्पष्ट अभिमत प्रकट किया गया। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि जहां प्रकरण मे कानूनी बिन्दू विद्यमान हो वहां मियाद के बिन्दू पर विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित अभिमत अनुसार ऐसे प्रकरणों मे मियाद के प्रश्न को गौण माना है तथा स्पष्ट अभिमत प्रकट किया है ऐसे प्रकरणो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा ने उक्त कानूनी बिन्दू पर भी गौर नही कर प्रकरण मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज कर अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने करने का निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे उक्त विवेचित कानूनी बिन्दूओ पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 19.8.2019 पारित किया है जिसे हम विधिसम्मत नही पाते है। फलत् उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 19.8.2019 अपास्त/निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचित तथ्यों/दिशा–निर्देशों का समुचित परीक्षण कर प्रकरण मे पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा